प्रेषक,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी,
प्रशासन, लखनऊ

पत्रांकः 182/एसी/प्र./2025 दिनांकः 24.02.2025

विषयः **मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम प्यारेपुर व कलियाखेड़ा परगना बिजनौर के राजस्व ग्रामों पर योजना के सुनियोजित विकास हेतु ग्राम समाज की भूमि 47.333 हे0 के पुर्नग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या–375/डीएल0आरसी/एल.डी.ए.–पुर्न0/ 2024 दिनांक 11.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका सम्बन्ध मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 में समाहित ग्राम समाज की कुल भूमि क्षेत्रफल 47.333 हे0 का यथाशीघ्र पुर्नग्रहण कार्यवाही कराये जाने से है। विभागीय पत्र संख्या–37/एसी/तह0/2016 दिनांक 19.01.2016 व पत्र संख्या–714/एसी./तह./2016 दिनांक 05.09.2016 व पत्र संख्या–599/एसी./तह./2017 दिनांक 06.09.2017 व अन्य के माध्यम से ग्राम समाज की कुल भूमि क्षेत्रफल 47.333 हे0 का यथाशीघ्र पुर्नग्रहण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, परन्तु अभी तक पुनर्ग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है।

इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत स्थित ग्राम प्यारेपुर परगना काकोरी व कलियाखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ के राजस्व ग्रामों के अधिग्रहण के उपरान्त योजना के सुनियोजित विकास हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है। मोहन रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत प्रस्तावित राजस्त ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि छुटपुट रूप से विभिन्न स्थानों पर स्थित है, जिनको सम्मिलित किये बिना मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम प्यारेपुर में 27.273हे0 व कलियाखेड़ा में 20.060 हे0 अर्थात कुल 47.333हे0 भूमि के पुर्नग्रहण हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया था।

उक्त योजना का अभिनिर्णय घोषित करते हुए भूमि का कब्जा प्राप्त हो चुका है। उक्त योजना का विकास कार्य का ले–आउट तैयार कर दिया गया है, परन्तु अभी तक योजना से सम्बन्धित ग्राम समाज की भूमियों को पुर्नग्रहण नहीं हो पाया है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि ग्राम समाज की भूमियों का पुर्नग्रहण न होने के कारण अनकों प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते है, जिससे योजना पर अतिरिक्त वित्तीय भार व प्राधिकरण की छवि भी प्रभावित होती है।

अतः उक्त योजना में समाहित ग्राम समाज की कुल भूमि क्षेत्रफल 47.333 हे0 का यथाशीघ्र पुर्नग्रहण कराने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में योजना में विधिक विवाद व वित्तीय क्षति से बचा जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(विवेक श्रीवास्तव)
ह/ सचिव

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. श्री प्रवेश कुमार, नायब तहसीलदार–अर्जन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उप जिलाधिकारी,/तहसीलदार सरोजनीनगर से सम्पर्क करते हुए पुर्नग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता जोन–3 (अभियंत्रण) को पत्र–673 दिनांक 14.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ।

(विवेक श्रीवास्तव)
ह/ सचिव